प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 'वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं तथा इसमें ई-वे बिल जनरेशन के संदर्भ में करदाताओं द्वारा कर अनुपालन के लेखापरीक्षा सत्यापन और ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग के निवारक कार्यों के परिणामों के साथ-साथ विभाग द्वारा रिटर्न की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2022-23 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2022-23 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।